



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01072023-246910
CG-DL-E-01072023-246910

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 157]
No. 157]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 30, 2023/आषाढ 9, 1945
NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 30, 2023/ASHADHA 9, 1945

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरूआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जून, 2023

मामला संख्या: एडीडी (ओआई) -07/2023

विषय: चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "सोलर पैनल्स/मॉडयूल्स के लिए एल्यूमिनियम फ्रेम" के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत।

फा. सं. 06/07/2023-डीजीटीआर.—1.विशाखा मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड (जिसे यहां आगे "आवेदक" कहा गया है) ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे "अधिनियम" भी कहा गया है) और समय समय पर यथा-संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "नियमावली" भी कहा गया है) के अनुसार घरेलू उद्योग की ओर से निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें यहां आगे "प्राधिकारी" भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है, जिसमें चीन जन.गण., (जिसे आगे "संबद्ध देश" भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "सोलर पैनल्स/मॉडयूल्स के लिए एल्यूमिनियम फ्रेम" (जिसे आगे "संबद्ध वस्तु" या "विचाराधीन उत्पाद" भी कहा गया है) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत करने का अनुरोध किया गया है।

2. आवेदक ने आरोप लगाया है कि संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु लंबे समय से भारी मात्रा में पाटित कीमतों पर भारत में आयात की जा रही है और ऐसे आयातों से वास्तविक क्षति हुई है तथा भारत

में उद्योग की स्थापना वास्तविक रूप से बाधित हुई है और उसने संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है।

क. विचाराधीन उत्पाद

3. विचाराधीन उत्पाद चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "सोलर पैनल्स/मॉड्यूल के लिए एल्युमिनियम फ्रेम" है। सोलर पैनल/मॉड्यूल के लिए एल्युमिनियम फ्रेम को प्रसिद्ध रूप से बाजार में एल्युमिनियम फ्रेम के नाम से जाना जाता है। यह उत्पाद सोलर पैनल/मॉड्यूल की समग्र एसेम्बली में मौलिक भूमिका निभाता है। इसके अलावा, आवेदक ने दावा किया है कि विचाराधीन उत्पाद सभी प्रकार के एल्युमिनियम फ्रेमों को कवर करता है।
4. सोलर पैनल्स/मॉड्यूल के लिए एल्युमिनियम फ्रेम थर्मल और यांत्रिक तनावों से आंतरिक घटकों का संरक्षण करता है, दूसरी ओर यह अटैचमेंट प्वाइंट भी उपलब्ध कराता है। अधिकांश सोलर पी वी पैनल एल्युमिनियम फ्रेम के साथ फिट होते हैं जो टॉप पर ग्लास कवरिंग तथा नीचे सोलर बैक शीट को पकड़े रखता है। एल्युमिनियम की आघातवर्धिता से विनिर्माता को उपभोक्ता की जरूरत के अनुसार आकार बनाने में मदद मिलती है। इस प्रकार, इससे घटकों का सपोर्ट बढ़ता है और बैटरी की सर्विस लाइफ बढ़ती है।
5. संबद्ध वस्तु में अधिक हीट रिफ्लैक्ट करने की क्षमता है जिससे सोलर सैल की समग्र परिवर्तन दक्षता में सुधार होता है। सोलर अनुप्रयोगों के लिए प्रयुक्त एल्युमिनियम फ्रेम धूप, स्क्रेच और नियमित वियर एंड टियर को सहने में सक्षम होते हैं। एल्युमिनियम फ्रेम में अच्छे चालक की विशेषताएं होती हैं और इसे तूफान के दौरान बिजली से बचाव के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। संबद्ध वस्तु संभलाई, भंडारण, ग्राउंडिंग, लगाने और पवन, बर्फ आदि जैसे यांत्रिक भार के विरुद्ध प्रतिरोध जैसे अनेक लाभ भी देती है।
6. कथित पाटित वस्तुएं एल्युमिनियम तथा उसकी वस्तुएं, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 76 के अंतर्गत वर्गीकृत है। याचिकाकर्ता ने बताया है इसे कंपनी वार अलग-अलग कोडों से आयात किया जाता है और अधिकांशतः शीर्ष 7610 तथा 7616 के अंतर्गत आयातित होती है। याचिकाकर्ता दावा करता है कि विचाराधीन उत्पाद निम्नलिखित सीमाशुल्क वर्गीकरणों के अंतर्गत भी आयातित किया जा रहा है : 76109010, 76109020, 76109030, 76109090, 7616, 76161000, 76169910, 76169990। सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और उत्पाद के दायरे पर किसी भी प्रकार से बाध्यकारी नहीं है।
7. हितबद्ध पक्षकार प्रस्तावित उत्पाद दायरे के संबंध में अपनी टिप्पणियां/सुझाव प्रदान कर सकते हैं इस अधिसूचना की तारीख से 30 दिनों के भीतर इस जांच के प्रयोजनार्थ पीसीएन का सुझाव दे सकते हैं।

ख. समान वस्तु

8. आवेदक ने दावा किया है कि भारत में कथित रूप से पाटित की गई संबद्ध वस्तु घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु के समान है। भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु और संबद्ध देश में उत्पादित और निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। ये दोनों उत्पाद भौतिक और रासायनिक विशेषताओं/विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसी अनिवार्य उत्पाद विशेषताओं की दृष्टि से तुलनीय है। उपभोक्ता इन दोनों का एक-दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं और कर रहे हैं। प्राधिकारी आवेदक के दृष्टिकोण को नोट करते हैं। इस प्रकार, वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ आवेदक द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को प्राधिकारी द्वारा संबद्ध देश से आयातित की जा रही संबद्ध वस्तु के "समान वस्तु" माना जा रहा है।

ग. संबद्ध देश

9. यह आवेदन चीन जन.गण. से विचाराधीन उत्पाद के पाटित आयातों के संबंध में दायर किया गया है।

घ. घरेलू उद्योग और स्थिति

10. आवेदक ने दावा किया है कि वह भारत में संबद्ध वस्तु का एकमात्र उत्पादक है। आवेदक के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार ऐसे कुछ अन्य प्रोसेसर हैं जो अर्धनिर्मित सामग्री पर प्रोसेसिंग (सर्फेस ट्रीटमेंट, फैब्रीकेशन आदि) करते हैं। आवेदक ने प्रमाणित किया है कि उसने न तो पीयूसी का आयात किया है और न ही वह चीन.जन.गण. में विचाराधीन उत्पाद के किसी उत्पादक/निर्यातक या भारत में संबद्ध वस्तु के किसी आयातक से संबंधित है।

उपर्युक्त के मद्देनजर और जांच के बाद प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक नियम 2 (ख) के अनुसार पात्र घरेलू उद्योग है और आवेदन संबंधित नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार, स्थिति संबंधी मापदंडों को पूरा करता है।

ड. कथित पाटन का आधार

i. सामान्य मूल्य

11. आवेदक ने चीन के एक्सेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(क)(i) का उल्लेख और उस पर भरोसा किया है। आवेदक ने दावा किया है कि चीन जन. गण. से उत्पादकों को यह दर्शाने के लिए कहा जाना चाहिए कि संबद्ध वस्तु का उत्पादन करने वाले उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति विद्यमान है। आवेदक ने यह बताया है कि यदि चीन के प्रतिवादी उत्पादक यह दर्शाने में असमर्थ रहते हैं कि उनकी लागत और कीमत सूचना बाजार चालित है, तो सामान्य मूल्य को नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के प्रावधानों के अनुसार परिकलित किया जाना चाहिए।
12. इस जांच शुरूआत के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने चीन के लिए सामान्य मूल्य पर घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत के आधार पर और उसमें बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय का तर्कसंगत लाभ जोड़ने के बाद विचार किया है।

ii. निर्यात कीमत

13. संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु की निर्यात कीमत को याचिकाकर्ता द्वारा निजी स्रोत तथा उनकी बाजार आसूचना से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर परिकलित किया गया है। तथापि, प्राधिकारी ने वर्तमान जांच शुरूआत के प्रयोजनार्थ डी जी सी आई एंड एस के आंकड़ों पर विचार किया है। समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, अंतरदेशीय मालभाड़ा व्यय, पत्तन व्यय और बैंक प्रभारों के लिए कीमत समायोजन किए गए हैं।

III. पाटन मार्जिन

14. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की कारखाना द्वार स्तर पर तुलना की गई है जो प्रथम दृष्टया दर्शाती है कि संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पाटन मार्जिन न्यूनतम सीमा से अधिक और काफी अधिक है। इस प्रकार, इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध देश से निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में विचाराधीन उत्पाद का पाटन किया जा रहा है।

च. क्षति तथा कारणात्मक संबंध

15. आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचना पर घरेलू उद्योग को हुई क्षति के आकलन के लिए विचार किया गया है। आवेदक ने पाटन आयातों की बढ़ी हुई मात्रा के रूप में समग्र रूप से तथा भारत में उत्पादन या खपत की दृष्टि से कथित पाटन, कीमत कटौती तथा कीमत ह्रास और घरेलू उद्योग पर कीमत न्यूनीकरण प्रभाव के रूप में कथित पाटन के परिणामस्वरूप हुई क्षति के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। आवेदक ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग के लिए क्षतिकारी कीमत पर विचाराधीन उत्पाद के आयातों में वृद्धि के परिणामस्वरूप लाभप्रदता, निवेश पर आय और क्षमता उपयोग के संबंध में उसके कार्य निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। घरेलू उद्योग ने यह भी बताया है कि आयातों के कारण भारत में उद्योग की स्थापना में वास्तविक रूप से बाधा आई है। इस बात के पर्याप्त प्रथमदृष्टया साक्ष्य हैं कि घरेलू उद्योग को क्षति संबद्ध देश से पाटन आयातों के कारण हुई है और आयात भारत में उद्योग की स्थापना को वास्तविक रूप से बाधित कर रहे हैं।

छ. पाटनरोधी जांच की शुरूआत

16. घरेलू उद्योग द्वारा दायर विधिवत रूप से साक्ष्यांकित लिखित आवेदन के आधार पर और संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के पाटन, घरेलू उद्योग को क्षति, उद्योग की स्थापना में वास्तविक बाधा तथा कथित पाटन और क्षति/वास्तविक बाधा के बीच कारणात्मक संबंध के बारे में प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य से स्वयं को संतुष्ट करने के बाद तथा नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार प्राधिकारी एतद्वारा संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में किसी कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने और पाटनरोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश करने जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, के लिए जांच की शुरूआत करते हैं।

ज. जांच की अवधि

17. आवेदक ने जनवरी, 2022 से दिसंबर, 2022 (12 माह) के रूप में जांच की अवधि प्रस्तावित की है। उनके द्वारा प्रस्तावित क्षति अवधि में अप्रैल, 2019 से मार्च, 2020, अप्रैल, 2020 से मार्च, 2021, अप्रैल, 2021 से मार्च, 2022 और जांच की अवधि शामिल है। तथापि, प्राधिकारी ने जांच की अवधि ("पीओआई") के रूप में अप्रैल, 2022-मार्च, 2023 (12 माह) की अवधि पर विचार किया है। क्षति अवधि में अप्रैल, 2019 से मार्च, 2020, अप्रैल, 2020 से मार्च, 2021, अप्रैल, 2021 से मार्च, 2022 और पीओआई की अवधियां शामिल हैं।

झ. प्रक्रिया

18. वर्तमान जांच के लिए पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 6 में यथाप्रदत्त सिद्धांतों का पालन किया जाएगा।

ञ. सूचना प्रस्तुत करना

19. निर्दिष्ट प्राधिकारी को भेजे जाने वाले सभी पत्र ई-मेल पत्तों adg13-dgtr@gov.in, adv11-dgtr@gov.in, jd12-dgtr@gov.in तथा ad12-dgtr@gov.in पर ई-मेल से भेजे जाने चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/एमएस वर्ल्ड फॉर्मेट में और आंकड़ों की फाइल एम एस एक्सल फॉर्मेट में खोजे जाने योग्य हो।
20. संबद्ध देश में ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों, भारत में स्थित उसके दूतावास के जरिए संबद्ध देश की सरकार, भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं को इस अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है। ऐसी समस्त सूचना इस जांच शुरूआत अधिसूचना, एडी नियमावली, 1995 और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं में यथा विहित ढंग और तरीके से प्रस्तुत की जानी चाहिए।
21. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी इस जांच शुरूआत अधिसूचना, एडी नियमावली, 1995 और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं में यथा विहित ढंग और तरीके से वर्तमान जांच से संगत अनुरोध इस जांच शुरूआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर प्रस्तुत कर सकता है।
22. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराने के लिए उसका एक अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
23. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी सलाह दी जाती है कि इस जांच के संबंध में किसी भी अद्यतन सूचना के लिए वे निर्दिष्ट प्राधिकारी की आधिकारिक वेबसाइट अर्थात् <http://www.dgtr.gov.in> को नियमित रूप से देखते रहें।

ट. समय-सीमा

24. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना निर्दिष्ट प्राधिकारी को ईमेल पत्तों adg13-dgtr@gov.in, adv11-dgtr@gov.in, jd12-dgtr@gov.in और ad12-dgtr@gov.in पर ईमेल के माध्यम से पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा पत्र भेजे जाने या निर्यातक देश के उचित राजनयिक प्रतिनिधि को प्रेषित किए जाने की तारीख से 30 दिनों के भीतर भेजी जानी चाहिए। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर और एडी नियमावली, 1995 के अनुसार अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।
25. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना देने और इस अधिसूचना में यथानिर्धारित उपर्युक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दी जाती है।
26. जहां कोई हितबद्ध पक्षकार अनुरोध प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त समय मांगता है वहां उसे एडी नियमावली, 1995 के नियम 6(4) के अनुसार समय बढ़ाने के पर्याप्त कारण बताने चाहिए और ऐसा अनुरोध इस अधिसूचना में निर्धारित समय सीमा के भीतर किया जाना चाहिए।

ठ. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

27. वर्तमान जांच में जहां कोई पक्षकार प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करता है या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करता है तो उसे एडी नियमावली के नियम 7(2) और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी संगत व्यापार सूचनाओं के अनुसार ऐसी सूचना का अगोपनीय अंश साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

28. ऐसे अनुरोधों पर प्रत्येक पृष्ठ पर “गोपनीय” या “अगोपनीय” स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्राधिकारी को किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा “अगोपनीय” माना जाएगा और प्राधिकारी को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने की स्वतंत्रता होगी।
29. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (यदि सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है।
30. अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और ए डी नियमावली, 1995 के नियम 7 और प्राधिकारी द्वारा जारी उपर्युक्त व्यापार सूचनाओं के अनुसार पर्याप्त और पूर्ण स्पष्टीकरण वाले कारणों का एक विवरण प्रस्तुत कर सकते हैं कि सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है, यह प्राधिकारी की संतुष्टि के आधार पर होना चाहिए। अन्य हितबद्ध पक्षकार भी दस्तावेजों के अगोपनीय अंश की प्राप्ति के 7 दिनों के भीतर गोपनीयता के दावे संबंधी अपनी टिप्पणी कर सकते हैं।
31. गोपनीयता के दावे के संबंध में सार्थक अगोपनीय अंश के बिना या ए डी नियमावली, 1995 के नियम 7 और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं के अनुसार किसी पर्याप्त और पूर्ण कारण संबंधी विवरण के बिना किया गया कोई अनुरोध प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।

ड. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

32. सभी पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची इस अनुरोध के साथ डी जी टी आर की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी कि वे सभी अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों के लिए अपने अनुरोधों का अगोपनीय अंश ई-मेल कर दें।

ढ. असहयोग

33. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि या प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

अनन्त स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, 30th June, 2023

Case No. ADD (OI) –07/2023

Subject: Initiation of anti-dumping investigation concerning imports of “aluminium frame for solar panels/modules” originating in or exported from China PR.

F. No. 6/07/2023-DGTR.—1. M/s. Vishakha Metals Private Limited (hereinafter referred to as the ‘applicant’) has filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the ‘Authority’), on behalf of the domestic industry, in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred as the ‘Act’) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred as the ‘Rules’), for initiation of an anti-dumping investigation concerning imports of “aluminium frame for solar panels/modules” (hereinafter referred to as the ‘subject goods’ or the ‘product under consideration’) originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as the ‘subject country’).

2. The applicant has alleged that the subject goods are being imported into India, originating in or exported from the subject country at dumped prices in significant quantities for a prolonged period and is causing materially retarding the establishment of industry in India and has requested for the imposition of anti-dumping duty on the import of the subject goods from the subject country.

A. PRODUCT UNDER CONSIDERATION

3. The product under consideration is “aluminium frame for solar panels/modules” originating in or exported from China PR. The Aluminium frames for solar panels/modules is popularly known in the market as “aluminium frames”. The product plays a fundamental role in the overall assembly of the solar panel/module. Further the applicant claims that the product under consideration covers all types of aluminium frames.
4. The Aluminium frames for solar panels/modules protect the internal components from thermal and mechanical tensions, on the other hand it provides mounting attachment points. Most solar PV panels are fitted with aluminium frames, which hug the glass covering the top and the solar back sheet at the bottom. The malleability of aluminium allows the manufacturers to give shapes as per customer’s requirement. Thus, it enhances the component’s support and increases the battery service life.
5. The subject goods have the capability to reflect more heat, helping to improve the overall conversion efficiency of a solar cell. The aluminium frames used for solar applications are able to withstand sunlight, scratches and regular wear and tear. The aluminium frame has good conductive properties and can be used as lightning protection during thunderstorm. The subject goods also provide several benefits in handling, storage, grounding, fixation and resistance against mechanical load such as wind, snow etc.
6. The alleged dumped goods are classified under Chapter 76 Heading “aluminium and articles thereof” to the Customs Tariff Act, 1975. The petitioner submits that, it is imported under different codes from company to company and country to country, and is majorly under the headings 7610 and 7616. The petitioner claims that the product under consideration is also being imported under following customs classifications: 76109010, 76109020, 76109030, 76109090, 7616, 76161000, 76169910, 76169990. The customs classification is indicative only and in no way, it is binding upon the product scope.
7. The interested parties, can provide their comments/suggestions on the proposed product scope and may suggest PCNs for the purpose of this investigation within 30 days from the date of this notification.

B. LIKE ARTICLE

8. The applicant has claimed that the subject goods, which have been alleged to be dumped in India, are identical to the goods produced by the domestic industry. There are no known differences in the subject goods produced by the Indian industry and the product under consideration produced and exported from the subject country. The two products are comparable in terms of essential product characteristics such as physical and chemical characteristics, manufacturing process and technology, functions and uses, product specifications, pricing, distribution and marketing and tariff classification of the goods. Consumers can use and are using the two interchangeably. The Authority notes the view points of the applicant. Hence, for the purpose of the present investigation, the subject goods produced by the applicant are being treated by the Authority as ‘like article’ to the subject goods being imported from the subject country.

C. SUBJECT COUNTRY

9. The application has been filed in respect of the dumped imports of the product under consideration from China PR.

D. DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

10. The applicant has claimed that it is the sole producer of the subject goods in India. As per the information available with the applicant, there are some other processors who carry out processing (surface treatment, fabrication etc.) on semi-finished materials. The applicant has certified that it has neither imported the PUC nor is related to any producer/exporter of the product under consideration in China PR or any importer of the subject goods in India. In view of the above and after examination, the Authority notes that the applicant constitutes eligible domestic industry in terms of Rule 2 (b), and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules supra.

E. BASIS OF ALLEGED DUMPING**i. Normal Value**

11. The applicant has cited and relied upon Article 15(a) (i) of China's Accession Protocol. The applicant has claimed that producers in China PR must be asked to demonstrate that market economy conditions prevail in the industry producing the subject goods with regard to the manufacture, production and sale of the product under consideration. It has been stated by the applicant that in case the responding Chinese producers are not able to demonstrate that their costs and price information are market driven, the normal value should be calculated in terms of provisions of Para 7 of Annexure I to the Rules.
12. The Authority has, for the purpose of this initiation, considered the normal value for China PR based on the cost of production of the domestic industry and after addition for selling, general & administrative expenses

and reasonable profits.

ii. Export price

13. The export price for the subject goods from the subject country is calculated by the petitioner based on the data sourced from private source as well as their market intelligence. However, the Authority has considered DGCI&S data for the purpose of present initiation. Price adjustments have been made for ocean freight, marine insurance, commission, inland freight expenses, port expenses and bank charges.

iii. Dumping margin

14. The normal value and the export price have been compared at the ex-factory level, which *prima facie* shows that the dumping margin is above the *de-minimis* level and is significant in respect of the product under consideration from the subject country. Thus, there is sufficient *prima facie* evidence that the product under consideration from the subject country is being dumped in the Indian market by the exporters from the subject country.

F. INJURY AND CAUSAL LINK

15. Information furnished by the applicant has been considered for assessment of injury to the domestic industry. The applicant has furnished evidence regarding the injury taken place as a result of the alleged dumping in the form of an increased volume of dumped imports in absolute terms and in relation to production or consumption in India, price undercutting and price suppressing and depressing effect on the domestic industry. The applicant has claimed that its performance has been adversely impacted in respect of profitability, return on the investment, and capacity utilization as a result of in imports of the product under consideration at an injurious price for the domestic industry. The domestic industry has also submitted that the imports are materially retarding the establishment of industry in India. There is *prima facie* evidence that the injury is being caused to the domestic industry by dumped imports from the subject country and that the imports are materially retarding the establishment of the industry in India.

G. INITIATION OF ANTI-DUMPING INVESTIGATION

16. On the basis of the duly substantiated written application by the domestic industry, and having satisfied itself, on the basis of *prima facie* evidence submitted by the domestic industry, about dumping of the product under consideration originating in or exported from the subject country, injury to the domestic industry, material retardation to the establishment of the industry and causal link between such alleged dumping and injury/material retardation, and in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the Rules, the Authority, hereby, initiates an investigation to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping in respect of the product under consideration originating in or exported from the subject country and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

H. PERIOD OF INVESTIGATION

17. The applicant has proposed the period of investigation as January 2022 to December 2022 (12 Months). The period of injury proposed by them covers the periods from April 2019 to March 2020, April 2020 to March 2021, April 2021 to March 2022 and the POI. However, the Authority has considered April 2022 – March 2023 (12 Months) as the period of investigation (“POI”). The period of injury covers the periods from April 2019 to March 2020, April 2020 to March 2021, April 2021 to March 2022 and the POI.

I. PROCEDURE

18. The principles as stated under Rule 6 of the AD Rules, 1995 shall be followed in the present investigation.

J. SUBMISSION OF INFORMATION

19. All communication should be sent to the Designated Authority via email at email addresses adg13-dgtr@gov.in, adv11-dgtr@gov.in, jd12-dgtr@gov.in and ad12-dgtr@gov.in. It must be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/MS-Word format and data files are in MS-Excel format.
20. The known producers/exporters in the subject country, the Government of the subject country through its Embassy in India, the importers and users in India who are known to be associated with the subject goods are being informed separately to enable them to file all the relevant information within the time limits mentioned in this notification. All such information must be filed in the form and manner as prescribed in this Initiation Notification, the AD Rules, 1995 and the applicable trade notices issued by the Authority.
21. Any other interested party may also make a submission relevant to the present investigation in the form and manner as prescribed by this Initiation Notification, the AD Rules, 1995 and the applicable trade notices issued by the Authority within time limit mentioned in this initiation notification.

22. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other interested parties.
23. Interested parties are further advised to keep a regular watch on the official website of the Designated Authority <http://www.dgtr.gov.in/> for any updated information with respect to this investigation.

K. TIME LIMIT

24. Any information relating to the present investigation should be sent to the Designated Authority via email at email addresses adg13-dgtr@gov.in, adv11-dgtr@gov.in, jd12-dgtr@gov.in and ad12-dgtr@gov.in within 30 days from the date on which it was sent by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country as per Rule 6(4) of the AD Rules. If no information is received within the stipulated time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record and in accordance with the AD Rules, 1995.
25. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit as stipulated in this notification.
26. Where an interested party seeks additional time for filing of submissions, it must demonstrate sufficient cause for such extension in terms of Rule 6 (4) of the AD Rules, 1995 and such request must come within the time stipulated in this notification.

L. SUBMISSION OF INFORMATION ON CONFIDENTIAL BASIS

27. Where any party to the present investigation makes confidential submissions or provides information on a confidential basis before the Authority, it is required to simultaneously submit a non-confidential version of such information in terms of Rule 7(2) of the AD Rules and in accordance with the relevant trade notices issued by the Authority in this regard.
28. Such submissions must be clearly marked as “confidential” or “non-confidential” at the top of each page. Any submission which has been made to the Authority without such markings shall be treated as “non-confidential” information by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow other interested parties to inspect such submissions.
29. The non-confidential version of the information filed by the interested parties should essentially be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (where indexation is not possible) and such information must be appropriately and adequately summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed.
30. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on a confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to a summary, and a statement of reasons containing a sufficient and adequate explanation in terms of Rule 7 of the AD Rules, 1995 and appropriate trade notices issued by the Authority, as to why such summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority. The other interested parties can offer their comments on the confidentially claimed within 7 days of receiving the non-confidential version of the document.
31. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a sufficient and adequate good cause statement in terms of Rule 7 of the AD Rules, 1995 and appropriate trade notices issued by the Authority, on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.

M. INSPECTION OF PUBLIC FILE

32. A list of registered interested parties will be uploaded on the DGTR's website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all other interested parties.

N. NON-COOPERATION

33. In case where an interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period or within the time stipulated by the Authority, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

ANANT SWARUP, Designated Authority